न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर

प्रतिवादी/अभियुक्तगण बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्मः–मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, सदर बाजार, सरुपगंज, तह0पिण्डवाडा, जिला–सिरोही निवासी–सदर बाजार, सरुपगंज भावरी, सरुपगंज़, तह. पिण्डवाडा, जिला–सिरोही
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, फर्म मालिक व खाद्य कारोबारकर्ता, फर्मः–मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, सदर बाजार, सरुपगंज, तह. पिण्डवाडा, जिला–सिरोही निवासी–सदर बाजार, सरुपगंज भावरी, सरुपगंज़, तह. पिण्डवाडा, जिला–सिरोही
3. मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला–सिरोही (विक्रेता फर्म)

F.S.S.Act Case No.72/2025

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः श्री प्रकाश धवल, प्रतिवादीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेश शर्मा, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर द्वारा दिनांक 13–10–2024 को मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील–पिण्डवाडा, जिला–सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द, निवासी– सदर बाजार, सरुपगंज भावरी, सरुपगंज, तह0 पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) का नमूना संख्या S-2511, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर 53F/FSSA/2025 दिनांक 05–03–2025 में अमानक (sub-standard) and presence of fat/oil (vegitable oil) which is not derived from milk which violates the section 2.1.1(3) and 2.3.7 of the food safety standards (prohibitions and restriction on sales) regulations, 2011 होना पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 11–3–2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके की वस्तुस्थिति का अवलोकन किये बिना ही कार्यवाही संस्थित की

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

है। प्रतिवादीगण, रिटेलर विक्रेता है एवं प्रतिवादीगण ने उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) का निर्माण व उत्पादन नही किया है तथा उक्त खाद्य सामग्री पर चस्पा लेबल ब्राण्ड से भी छेडछाड नही की है। प्रतिवादीगण उक्त खाद्य सामग्री गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) के निर्माता व पैकर नही है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) को मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही क्रय किया है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी उक्त खाद्य सामग्री गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) के मूल कम्पनी पैक 15 किलोग्राम के पैक टीन में से नमूना जांच हेतु संग्रहण किया है। उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) की निर्माता Shree Savai Milk Products, Plot No. 195, chandisar GIDC, Ta. Palanpur, Dist. Bansakantha (Gujrat) 385510 है। विधि के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) की उत्पादक/निर्माता कम्पनी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य सामग्री की उत्पादक/निर्माता कम्पनी को पक्षकार नही बनाया है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) के कम्पनी पैक टीन के खरीद का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था, जिससे उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (फाइव स्टार हेल्थ ब्राण्ड) की निर्माता फर्म निर्माता Shree Savai Milk Products को भी पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक था, लेकिन उक्त निर्माता फर्म को जानबूझ कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पक्षकार नही बनाया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संग्रहण करने से लेकर नमूने की जांच तक नमूनें को उचित तापमान में भी स्टोर नही किया है। उचित तापमान में नमूने की जांच नही होने से भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस प्रकार, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की जांच विधिवत नही करवाई है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज करना फरमावे।

(3) हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर, दिनांक 13—10—2024 को समय 12—10 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द, निवासी— सदर बाजार, सरुपगंज (भावरी), तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही उपस्थित मिले। श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज की दुकान के परिसर में खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) के पैक टीन आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये पाये, जिसमें मिलावट का अन्देशा होने पर श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना गवाह श्री कलाराम पुत्र जीवाराम रेबारी, निवासी— लौटाना, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही के समक्ष प्रतिवादी प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24ए सदर बाजार, सरुपगंज की दुकान के परिसर में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) के 15 किलोग्राम के एक पैक टीन में को हिला मिलाकर एकरुप करके पैक टीन में एक तरफ से छेद करके खोल कर उसमें से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही—307001.

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

तहत नमूना जांच हेतु उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे, खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 240/— (अक्षरे रुपये दो सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम गाय का घी (Five star health brand) को प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द व गवाह के चार साफ, सूखी, खाली बोतल/जारों में बराबर—बराबर मात्रा में भरा एवं चारों नमूना बोतल/जारों को ढक्कन लगागर एयरटाईट बन्द किया। श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का स्थान, दिनांक, अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2511, खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) आदि अंकित किया एवं प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेश शर्मा ने चारों नमूना बोतल/जारों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग कागज में लपेट कर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं क्रमांक S-2511 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागें से बांधकर चारों नमूनों बोतल/जारों को नियमानुसार चपडी से सील मोहर कर चारों नमूनों पर प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) के उक्त चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द व गवाह तथा श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। शेष बचे गाय का घी (Five star health brand) के पैक टिन 15 Kg X 3 और टिन लूज एक 14.2 Kg कुल लगभग 59 किलो 200 ग्राम को सील सीज कर प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता को सुपर्द किया। तत्पश्चात् श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेब्रोरेटरी, जोधपुर को दिनांक 21—10—2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाये गये। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द से खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत

......पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ गाय के घी (Five star health brand) के नमूना संख्या S-2511 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1513/Act/2024/1565 दिनांक 30–10–2024 में खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) का नमूना संख्या S-2511, असुरक्षित खाद्य (unsafe food) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) के नमूना संख्या S-2511 के दूसरे भाग की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) द्वारा खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) के नमूना संख्या S-2511 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर से उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी के नमूना संख्या S-2511 की प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर 53F/FSSA/2025 दिनांक 05–03–2025 में खाद्य पदार्थ गाय का घी का नमूना संख्या S-2511, अमानक (sub-standard) and presence of fat/oil (vegitable oil) which is not derived from milk which violates the regulation No. 2.1.1(3) and 2.3.7 of the food safety standards (prohibitions and restriction on sales) regulations, 2011 होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के अर्न्तगत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 13–10–2024 को मैसर्स भगवती जनरल स्टोर, 24, सदर बाजार, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला–सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द, निवासी– सदर बाजार, सरुपगंज भावरी, सरुपगंज, तह0 पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से गाय का घी (Five star health brand) के 15 किलोग्राम के एक पैक टीन में एक तरफ से छेदकर खोलकर उसमें से 800 ग्राम गाय का घी (Five star health brand) (नमूना संख्या S-2511) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था तथा गाय का घी (Five star health brand) के पैक टीन पर निर्माता/उत्पादक का लेबल भी लगा हुआ था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के कथनों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा गाय का घी (Five star health brand) के खरीद का बिल भी आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अनुसंधान के दौरान प्रस्तुत कर दिया था, उसके बावजूद भी आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गाय का घी (Five star health brand) की सप्लायर फर्म व निर्माता को पक्षकार बनाये बिना ही केवल मात्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध ही इस न्यायालय में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि विधि अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) (नमूना संख्या S-2511) की सप्लायर फर्म व निर्माता/उत्पादक फर्म को भी इस प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेश शर्मा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ गाय के घी (Five star health brand) के मूल कम्पनी पैक टीन में से नमूना संख्या S-2511 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु खरीद किये जाने के बावजूद भी आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेश शर्मा ने उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) की सप्लायर व निर्माता/व उत्पादक फर्म को इस प्रकरण में बतौर प्रतिवादी अभियुक्त संस्थित नही कर पूर्ण अनुसंधान के बिना ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विधि अनुरुप नही है।

......पेज पांच पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

आदेश

अतः श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर की विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर 53F/FSSA/2025 दिनांक 05–03–2025 में अमानक (sub-standard) and presence of fat/oil (vegitable oil) which is not derived from milk which violates the regulation No. 2.1.1(3) and 2.3.7 of the food safety standards (prohibitions and restriction on sales) regulations, 2011 पाये गये खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) (नमूना संख्या S-2511) के विक्रय के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के उल्लंघन एवं धारा 51 व 58 के तहत प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करवाने हेतु प्रस्तुत यह न्याय निर्णयन आवेदन इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर को आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण अनुसंधान करके खाद्य पदार्थ गाय का घी (Five star health brand) (नमूना संख्या S-2511) की सप्लायर फर्म व निर्माता/ उत्पादक फर्म को भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाते हुए पुनः नये सिरे से न्याय निर्णयन आवेदन, इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही